

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है० की दुगुनी 8.574 है० भूमि, जो ग्राम सुमगढ, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत, तहसील, कपकोट के गैर ज० वि० खतौनी श्रेणी 9(3) ख (2) के खाता संख्या-127 खेत नम्बर 11409 मध्ये रकवा 5.000 है० खेत नम्बर 11667 मध्ये रकवा 2.000 है०, खेत संख्या-11769 मध्ये रकवा 1.574 है० कुल 8.574 है० भूमि को शासनादेश संख्या -2173 /2012 -18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू० सी० पी०/06/60/2018/एफ० सी०/1264 दिनांक 16/09/2020 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित /हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या 2163 / छब्बीस-अठ्ठवन /2020-21 दिनांक 06/07/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर,
2. उपजिलाधिकारी, कपकोट,
3. अधिशासी अभियंता, खण्ड लोक निर्माण, कपकोट,
4. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

सि० अ० - 111 / वन विभाग बागेश्वर

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

(Signature)
06/07/21

*Guzranvi Computer
ministry ant.
Sukh*

Digitally signed by VINEET

KUMAR

Date: Tue Jul 06 11:28:56 IST

2021

Reason: Approved